THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI DILIP RAY): (a) Coal reserves are identified by Geological Survey of India (GSI) as a result of exploration conducted by various agencies in different parts of the country. Coal reserves of India (down to a depth of 1200 metres), intimated by GSI, as on 1.1.98 has been 206,239.50 million tonnes.

(b) Through exploration of coal, which is an on-going exercise, new coal deposits are identified. With the coal reserves established till dated even at the enhanced rate of production, Indian coal reserves are likely to last over 100 years.

(c) The potential alternative sources of energy in the country are hydel, nuclear and non-conventional energy like solar and wind energy etc. Thrusts have been given to exploit these energy sources to their optimum levels.

कोयले पर दी जाने वाली रायल्टी

432. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ल:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा उड़ीसा और मध्य प्रदेश में उत्पादित कोयले पर प्रति टन कितनी रायल्टी निर्धारित की गई है;

(ख) क्या अन्य कोयला उत्पादक राज्यों की तुलना में यह रायल्टी दर उत्यधिक कम है और तर्कसंगत भी नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) सरकार द्वारा उड़ीसा और मध्य प्रदेश को भी तर्कसंगत दर पर रायल्टी देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किया जाएगा?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) कोयले पर रायल्टी की दरें राज्य-वार निर्धारित नहीं की गई है। देश में कोयले पर रायल्टी की दरों के निर्धारण के उद्देश्य से उनके ग्रेडों के आधार पर कोयले का वर्गीकरण किया जाना काफी समय से एक स्थापित परम्परा है। दिनांक 11.10.1994 को चालू रायल्टी दरों का निर्धारण करते हुए, कोयले के विभिन्न ग्रेडों को 6 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। आंध्र प्रदेश में उत्पादित सभी कोयले को छठे समूह में रखा गया है और ग्रेड पर ध्यान दिए बिना आंध्र प्रदेश के सभी कोयले पर 75 रू० प्रति टन की रायल्टी दर निर्धारित की गई है। रायल्टी की चालू दर पश्चिम बंगाल पर लागू नहीं की गई है, चूंकि पश्चिम कोयले पर उपकर प्रभावित करने वाला एकमात्र कोयला उत्पादक राज्य है। शेष पांच समूहों हेतु रायल्टी की दरें आंध्र प्रदेश और प. बंगाल को छोड़कर, सभी कोयला उत्पादक राज्यों में समान है। चूंकि समूह-1 का कोयला उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों में विद्यमान नहीं है, अत: समूह-1 कोयले हेतु रायल्टी की दरों को इन दो राज्यों में लागू किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। पं. बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़कर उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा अन्य कोयला उत्पादक राज्यों में कोयले की वर्तमान रायल्टी दरों का तुलनात्मक ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

कोयला प्रेषण के रू प्रति टन में कोयले पर वर्तमान रायल्टी दरें

समूह	उड़ीसा	मध्य प्रदेश	पं. बंगाल तथा आंध्र प्रदेश को छोड़कर अन्य कोयला उत्पादक राज्य
ग्रुप-I	-	-	195.00
ग्रुप-II	135.00	135.00	135.00
ग्रुप-III	95.00	95.00	95.00
ग्रुप-IV	70.00	70.00	70.00
ग्रुप-V	50.00	50.00	50.00

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Plan for growth in coal production

433 SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the MINISTER OF COAL be pleased to state:

(a) whether Government have felt the need to formulate plan for growth in coal production;

(b) if so, whether the coal companies and their subsidiaries have been asked by Government to take necessary steps in that direction; and

(c) the action initiated by different coal companies?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI DILIP RAY): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) The Coal Companies have taken various steps to ensure growth in coal production by, inter-alia, opening of new mines, modernisation of existing mines, upgradation of technology,